बिहार विधान सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में वृहस्पतिवार, तिथि १३ अक्तूबर १९५५को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प सूचना प्रश्नोत्तर।

Short Notice Questions and Answers.

NOTICES ON THE KHUTKATIDARS.

429. Shri S. K. BAGE: Will the Revenue Minister be pleased to state—

(1) whether it is a fact that Government have served notices on the *Khutkatidars* of Chotanagpur intimating them of Government decision to take over their *Khutkati* rights;

(2) if the answer to the above clause be in the affirmative, what are the reasons thereof?

Shri KRISHNA BALLABH SAHAY: (1) and (2) It has come to Government's notice that owing to inadvertence in preparation of draft notifications, under sub-section (1) of section 3 of the Bihar Land Reforms Act, 1950, by some districts, the interests of some *Khutkatidars* were notified under that provision.

2. *A Khutkatidar* does not come within the purview of an "intermediary" as defined in the Bihar Land Reforms Act, 1950. The interests of a *Khutkatidar* cannot thus be acquired under the Act.

3. The interests of a *Khutkatidar* have not, however, been taken possession of in any case and steps are being taken to cancel the notifications issued by inadvertence.

श्री जुनुस सुरीन—सरकार की ओर से जो नोटिस जारी हुई है वह कबतक के लिये है यानी कितने दिनों में उस नोटिस को रद्द करने के लिये दूसरी नोटिस जारी होगी?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—मेरा खयाल है कि एक हफ्ता या १० दिन में गजट में नोटिस निकल जायगी। खूटकट्टीदारों के इन्टरेस्ट को अभी लिया नहीं गया है और न सरकार के कब्जे में ही वह आया है, इसलिए अभी तक किसी को इससे कोई नुकसान नहीं है।

करते हुए, साथ ही साथ त्रुटियों की ओर इशारा करते हुए राजस्व मंत्री के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए इस बिल का समर्थन करता हूं।

विधान सभा का निलंबन।

SUSPENSION OF ASSEMBLY RULE 15.

Shri RAM CHARITRA SINHA : Sir, I beg to move :

That the Bihar Assembly Rule 15 be suspended to permit Friday, the 14th October 1955 being provided for the transaction of Government business.

Sir, we have already announced about it. The rule should be suspended with the permission of the House.

श्री रमेश झा—यह सेसन एक महीना का भी नहीं हुआ और एक दिन गैर-सरकारी दिन आया तो उसको भी बन्द करने की बात हो रही है।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

The Bihar Assembly Rule 15 be suspended to permit Friday, the 14th October 1955 being provided for the trans action of Government business.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधायी कार्य : सरकारी विधेयक :

LEGISLATIVE BUSINESS : OFFICIAL BILL :

बिहार टेनेन्सी (अमेंडमेंट) बिल १९५४ (१९५४ का वि० सं० ४१)।

THE BIHAR TENANCY (AMENDMENT) BILL 1954 (BILL NO. 41 OF 1954).

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उनमें से बहुतेरे ने मेरे विचार के प्रस्ताव का समर्थन किया है। जहां तक इस बिल के प्रोभिजन्स का सम्बन्ध है, मैं अभी कोई विचार प्रकट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि जो प्रोभिजन्स ऑफ दि बिल्स हैं उनके सम्बन्ध में जो संशोधन आये हुए हैं उन पर जब बहस होने लगेगी तो मेम्बरों को बोलने का मौका मिलेगा और मुझे भी मौका मिलेगा। मैं अभी केवल दो बात पर ही कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। मैंने कल अपने भाषण में कहा था कि गर्वमेंट इस बिल में कोई प्रोभिजन नहीं है.....

गवर्नमेंट का इरादा है गर्वमेंट फैसला नहीं हुआ है कि राइट ऑफ एक्जम्प्शन के आशय का बिल भी हाउस में लाया जाय, सीलिंग फिक्सेशन बिल को अमेंडमेंट के रूप में या सेपरेट लेजिस्लेशन के रूप में। इस पर हमारे दोस्तों ने कहा कि.....

अध्यक्ष—आपका भाषण भी तो अब रेलवेन्ट हो जाता है।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—नहीं है क्योंकि जो भाषण कहा गया कि उस वक्त रेलवेन्ट था इसलिए मेरा भाषण भी रेलवेन्ट हो गया। हां, तो यह कहा गया कि आप एक कदम आगे बढ़ते हैं तो दो कदम पीछे हट जाते हैं। हमारा मतलब यह हर्गिज न था कि राइट औफ एक्जम्प्शन देंगे तो सबलेटिंग एलाउ कर देंगे। हमारा मंशा हमेशा यही था कि खास कल्टिवेटर्स के लिए हम एक्जम्प्शन को एक सर्टेन लिमिट तक एलाउ करना चाहते हैं। इस पर सोचा जा रहा है। मैंने कहा कि गवर्नमेंट विचार कर रही है मगर फैसला नहीं हुआ है। हमारे दोस्त ने कहा कि ये दो कदम पीछे हटते हैं गच एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। मैं माननीय श्री मुन्द्रिका सिंह का ध्यान आकृष्ट करता हूं उस निबंध या आर्टिकिल की ओर जो उन्हीं के नेता श्री जयप्रकाश नारायण ने श्री गौरी शंकर शरण सिंह तथा श्री बैजनाथ चौधरी को विचार करने के लिए दिया था इसके सम्बन्ध में।

श्री त्रिवेणी कुमार—वह तो भूदान यज्ञ की बात है। वह हमलोगों के पास भी है।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—उसी का कुछ सेक्शन कोट कर देना चाहता हूं। जब हमारे दोस्त पकड़ा जाते हैं तो सदन से भाग कर जायं कैसे, अपनी ही जगह पर छटपटाने लगते हैं। अगर आप इस पर विचार करते कि श्री जयप्रकाश नारायण ने एक्जम्प्शन के बारे में क्या कमिटमेंट किया है तो आप यह हर्गिज नहीं कहते कि हम एक कदम आगे बढ़ते हैं तो दो कदम पीछे हटते हैं।

श्री कर्पूरी ठाकुर—अध्यक्ष महोदय, वे सारी बातें जो श्री जयप्रकाश नारायण ने कहा है उन्हें हमारे राजस्व मंत्री कबूल कर लें तो हमलोगों को खुशी होगी, क्या वे ऐसा करेंगे ?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—प्वायन्ट औफ आर्डर रेज कर सकते, आप तर्क कर सकते हैं और इसके लिये आपको मौका मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं यही कह रहा था कि राइट औफ एक्जम्प्शन श्री जयप्रकाश नारायण ने भी कबूल किया है। हम तो वही कोट करेंगे जिससे हम साबित कर सकें कि श्री जयप्रकाश नारायण ने एक्जम्प्शन को कबूल किया है। उन्होंने कहा है:

"Share-croppers or bataidars will have no right in the lands of cultivators who own five or less acres; and such cultivators will have the right to resume their lands for self-cultivation."

अब चार (४) को देखें:

"4. In the case of bataidars who are cultivating lands of owners who have more than the ceiling area and also of those who have less than that area, the bataidars should be given occupancy rights in the lands only of the former according to the formula given in 5 below. The owners of less than the ceiling area should also have the right to evict such bataidars provided the lands so resumed are meant for self-cultivation."

मैं यह कह रहा था कि जयप्रकाश जी का जो विचार है वह यही है कि ५ एकड़ से नीचे की जमीन में यदि बटाईदार है तो वह रैयत को वापस मिल जाय। ५ एकड़ से

नीचे की जमीन में अगर बटाईदार है अगर रैयत चाहते हैं कि खेती फिर से करें तो कर सकते हैं और ३० एकड़ और इससे नीचे की कैफियत यही है। ३० एकड़ से ऊपर के बटाईदार है उसका औकुपेंसी राइट हो जायगा। ३० एकड़ से नीचे के लिये सेल्फ कल्टिवेशन रिज्यूम करने का राइट हो जायगा। मैं हाउस को यह नहीं कह रहा था कि आप श्री जयप्रकाश नारायण की बात मान लें। एक्जेम्प्शन के नाम पर आपको छींक क्यों आने लगी, नहीं आनी चाहिये थी। आपके लीडर खुद एक्जेम्प्शन का नाम लेते हैं लेकिन वही बात मैं कहता हूं तो आप कहते हैं कि मैं दो कदम पीछे हटता हूं और एक कदम आगे बढ़ता हूं। जरा मेरे साथ भी न्याय कीजिये मुद्रिका बाबू।

श्री यमुना प्रसाद सिंह—आप जरा डौकुमेंट के साथ न्याय कीजिये।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—मैं इसका न्याय करूंगा, इसे मैं टेबुल पर रख दूंगा। मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि आप इसे गौर से पढ़िये।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं दूसरे पार्ट पर आता हूं। मैं यह कह रहा हूं और मैंने कल जो कहा उसी को रिपीट करता हूं कि यह एक क्रांतिकारी कदम है। मैं मोस्ट सौलेमली कहता हूं कि इट इज ए रिवोल्युशनरी मेजर। क्यों कहता हूं? श्री कर्पूरी ठाकुर जब अपना भाषण दे रहे थे तो उस वक्त जो उन्होंने श्री जवाहरलाल नेहरू ने जो चिट्ठी अपनी लड़की को लिखा था और जिसमें क्रांति की परिभाषा दी गई थी कह रहे थे उसे मैं बड़ा गौर से सुन रहा था। रिवोल्युशन उसी को कहते हैं जिससे समाज में उथल-पुथल हो जाय, ह्युमन रिलेशन के आउटलुक औफ लाइफ बदल जाती है। हुजूर, इस बिल के जरिये ह्युमन रिलेशन के आउटलुक औफ लाइफ बदलती है, इसमें कोई शक नहीं है। हुजूर, मैं आप से कहना चाहता हूं कि इस सूबे की आबादी करीब ४ करोड़ है। इनमें करीब ३०-४० लाख बटाईदार हैं उनकी हालत क्या है? हमारे यहां ८० लाख मजदूर हैं। अस्सी लाख लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर हैं और तीस लाख बटाईदार हैं। उनको भी आदमी के ऐसा रहना चाहिए। इसलिए जो खेत वे जोत रहे हों उस पर उनको अधिकार रहना चाहिए। आज हमारे देश में इतने उद्योग धंधे तो हैं नहीं कि उनको रोजगार दिया जा सके। इसलिए आज हम इस कानून के जरिये ऐसे जमीन विहीन मजदूरों को यह अधिकार दे रहे हैं कि जो जमीन वे जोतते आ रहे थे वे जोतते रहेंगे। उनको उससे कोई निकाल नहीं सकता है जब तक इसके लिए कचहरी का फैसला न हो। हमने तीस लाख ऐसे लोगों को अधिकार दिया है तो क्या यह क्रांतिकारी कदम नहीं है। क्रांतिकारी की दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है। जो आज खेत विहीन मजदूर थे वे टोलर आफ दी स्वायल यानी जमीन के मालिक होंगे। आज तक ऐसा आदर्श हमारे देश में नहीं आया था।

The Himalayas looked to the plains and plains to the Ocean and looked at each other and said "Will the tillers of the soil even be free"? The echo was, "yes". The Congress made it true today and now the tillers of the soil will be the masters of the soil.

अध्यक्ष महोदय, मैं इसको एक क्रांतिकारी कदम समझता हूं। यह ठीक है कि विरोधी दल वाले भी इस बिल का विरोध नहीं करते हैं लेकिन हमारे दाहिने बैठने वाले लोग हैं उनको धन्यवाद देता हूं। उनके हाथ में अख्तियार था वे चाहते तो हम इस बिल को आगे प्रोसीड नहीं कर सकते थे। इसलिए मैं उनको पहले मुबारकबादी देता हूं और आपको भी मुबारकबाद देता हूं। और हमारे बिहार की जो जनता है उसको भी मुबारक-

बादी देती हूं कि उनकी मनोवृत्ति में परिवर्त्तन होने वाला है, आज कोई चाहे पटना बैठ कर, हजारीबाग बैठ कर, मुंगेर या लहेरियासराय बैठ कर अपने खेत से अनाज मंगाना चाहे तो वह नहीं मंगा सकता है। उसको मालगुजारी देने में ही सारा गल्ला बेच देना पड़ेगा। अगर आज उसको खेती से सम्पर्क रखना हो तो खुद खेती करनी पड़ेगी। हमारे बिल का यही नतीजा है। हमारे यहां जो लोग लिखे-पढ़े हैं और जो सोसाइटी के बैकबोन हैं वे आज खेती पर जायंगे। क्या इसको क्रांतिकारी नहीं कहेंगे। क्या आप इसी को क्रांतिकारी समझते हैं जिसमें राष्ट्रीय झंडे को रौंद दिया जाय या जला दिया जाय। मैं तो कहूंगा कि मेरे ख्याल में यही क्रांतिकारी मेजर है। मैं नहीं कहता कि आप लोगों में ऐसे लोग नहीं हैं। भागवत बाबू का यह कहना कि यह कुछ नहीं हुआ और इससे लोगों को विशेष फायदा नहीं होगा यह कहना ठीक नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि यह बिल मेरा ही लाया हुआ है या इसके लिये मुझे ही श्रेय मिलना चाहिये लेकिन मैं भागवत बाबू से कहूंगा कि डू नौट डैम इट विथ फेंइल प्रेइज। इससे फायदा होने वाला है। भागवत बाबू को चाहिए था कि इधर जो लोग बैठे हुए हैं उनको उत्साह दिलाते।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं भी चिंतित हूं कि यह बिल जहां तक हो सके, जल्द से जल्द पास हो जाय। बहुत से सदस्य बोलने वाले हैं और बहुत से संशोधन हैं, उसके ऊपर जो कैफियत देना होगा दूंगा। इसलिए जो विचार का प्रस्ताव पेश है उसको अध्यक्ष महोदय सदन में उपस्थित करें।

अध्यक्ष—श्री शिवव्रत नारायण सिंह अपने प्रस्ताव पर अन्तिम उत्तर नहीं दे सके हैं।

उनका हक सुरक्षित है।

आपका हक है कि आप बोलें लेकिन आपके बोलने से नतीजा ही क्या निकलेगा आप अकेला तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन फिर भी यदि आप अपने हक पर जोर करते हैं तो आपको खुशी। लेकिन एक सदस्य की हैसियत से आपको अध्यक्ष की मदद करनी चाहिए।

*श्री शिवव्रत नारायण सिंह—मैं हुजूर की आज्ञा को मानने को तैयार हूं लेकिन साथ ही जिन लाखों लाख किसानों के हकों को इस बिल के द्वारा कुचला जा रहा है उनके प्रति भी तो हमारा उत्तरदायित्व है।

अध्यक्ष—मेरी राय है कि आप कह दें कि आप प्रस्ताव को वापस ले लेना चाहते हैं।

श्री शिवव्रत नारायण सिंह—मैं वापस नहीं लूंगा।

अध्यक्ष—आपको जवाब देने का समय मिलेगा इसलिये अच्छा है कि आप यहीं पर समाप्त कर दें।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—मैं एक प्वायंट आफ ऑडर रेज करना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसके विरोध में जो बातें कहीं गयी हैं उन्हीं के सम्बन्ध में माननीय सदस्य बोल सकते हैं।

अध्यक्ष—यह प्वायंट ऑफ ऑर्डर तो सही है परन्तु मुझे खेद है कि माननीय सदस्य श्री शिवव्रत नारायण सिंह को संगतपूर्ण भाषण देने की आदत नहीं है।

श्री शिवव्रत नारायण सिंह—अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रस्ताव के विरोध में जो बातें कहीं गयी हैं मैं उनके सम्बन्ध में ही बातें करूंगा। हम देखते हैं कि इस बिल के द्वारा लाखोंलाख किसानों के हकों को कुचला जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे सोशलिस्ट भाई खुले आवाज में यह कहें कि हम तुम्हारे हकों को छिन कर बटाईदार को देना चाहते हैं लेकिन वे ऐसा नहीं कह सकते हैं क्योंकि किसानों का बहुमत है और उनसे वे डरते हैं और ऐसी बात कहने की हिम्मत उन्हें नहीं है ।

अध्यक्ष—आप असंगत बातें नहीं करें नहीं तो मुझे मजबूर होकर आपको बैठाना पड़ेगा जैसा कि एक बार और मुझे करना पड़ा था।

*श्री शिवव्रत नारायण सिंह—आपको अधिकार है और यदि आप बैठने को हमें कह देंगे तो हम बैठ भी जायंगे लेकिन हमारा अधिकार है कि हम किसानों की तरफ से बोलें और हमको बोलने की गुंजाइश होनी चाहिये। हम यह जरूर कहेंगे कि दो करोड़ ८१ लाख किसानों के हकों की हकतलफी हो रही है। आज आप यह कानून बना रहे हैं कि तिरपन से जो बेदखली हुई है उस पर यह लागू होगा और आगे चल कर आप इस कानून को और पहले केसेज में भी लागू कर देंगे। आप बताइये कि यह कहां का इंसाफ है कि हमने किसी को अपनी जमीन एक साल या दो साल के लिये दिया उसको आप अब हमसे छीन कर बटाईदार को दे देंगे। देहातों में बीरा पर एक फसल के लिये जमीन देते हैं और उसके बाद ले लेते हैं लेकिन अब आप दूसरे के चीज को प्रसाद की तरह बांट देना चाहते हैं जब सीलिंग के सम्बन्ध में एक बिल ला रहे हैं और दूसरे-दूसरे लैंड रिफार्म्स के बिलों को लाने वाले हैं तो इसके लिये क्या हड़बड़ी है। यह बिल सीलिंग वाले कानून से कहीं ज्यादा स्वीपिंग नेचर का है क्योंकि इस छोटे से बिल के द्वारा आप यहां के करोड़ों किसानों के हकों को छीन रहे हैं इसलिये मैं कहता हूं कि ऐसे अहम् मसले पर आप जनमत प्राप्त कर लें। अन्त में मैं एक कहानी कह कर बैठ जाता हूं। एक गांव में दो पड़ोसी रहते थे। उसके समीप ही एक कुआं था। एक पड़ोसी अंधा था। अंधा जब पानी लेने कुआं पर जाता था तो मुंडेरा न रहने के कारण अक्सर गिर जाया करता था। उसने अपने पड़ोसी से बार-बार कहा कि कुआं का मुंडेरा बनवा दे लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अन्त में उसने भगवान को बहुत प्रार्थना करके खुश किया तब भगवान ने कहा कि तुमको जो मांगना है सो मांगो। लेकिन जो बरदान तुमको मिलेगा उसका दुगुना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। इस पर उन्होंने बहुत सोच विचार कर यह बरदान मांगा कि मेरा एक आंख खतम हो जाय जिससे उसके पड़ोसी का दोनों आंख खतम हो गया। यही हालत हमारे सोशलिस्ट भाइयों का है। मैं आशा करता हूं कि सभा हमारे प्रस्ताव को मान लेगी।

श्री हृदय नारायण चौधरी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत समय नहीं लूंगा। मैं आपके साथ सहयोग ही करूंगा। जो आक्षेप किए गए हैं मेरे प्रति उन्हीं का जवाब मैं दूंगा। माननीय श्री मुंद्रिका सिंह का जवाब मैं देना चाहता हूं। उन्होंने अपने भाषण में मेरे प्रति कहा "उधरहिं अंत न होय निबाहू"। आखिर की लाइन नहीं कहा

इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं यहां वह श्लोक कहूंगा "पयः पानं भुजंगानाम केवलम् विष वर्द्धनम्", सांप को दूध पिलाइए लेकिन उसकी विष ही बढ़ेगी। माननीय सदस्य ने किस तरह अपने आदरणीय नेता श्री जयप्रकाश नारायण का आदर किया है, उनकी बात नहीं मान कर जो किया है उसी से मैं उनका जवाब दूंगा। आदरणीय श्री जयप्रकाश नारायण जी के हस्ताक्षर से और श्री वैद्यनाथ चौधरी तथा श्री गौरी शंकर जी के हस्ताक्षर से मुझको निमंत्रण मिला है कि आज शाम में इस विषय पर क्या हो इस पर विचार किया जायगा लेजिस्लेचर क्लब में और इसी लिए हमने प्रवर समिति का प्रस्ताव आपके सामने रखा। यह ठीक है कि वह हमारे नेता नहीं हैं लेकिन देश के एक आदरणीय व्यक्ति और संभ्रांत नेता हैं और श्री मुद्रिका सिंह ने किस तरह उनकी बात को, जो उनके नेता हैं, नहीं माना यही मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जयप्रकाश बाबू का जो कहना है वह मैं आपके सामने कुछ अंश में पढ़ कर सुना देना चाहता हूं।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—क्या वह समूचा मैनीफेस्टो पढ़ेंगे ? वह बाहर की चीज है और यहां सारी चीज क्यों रखेंगे ?

श्री हृदय नारायण चौधरी—अध्यक्ष महोदय, मैंने तो अभी कुछ उससे पढ़ा भी नहीं है।

अध्यक्ष—अच्छा, आप पढ़िए मत, उसकी बात जो कहना चाहते हैं कहिए।

श्री हृदय नारायण चौधरी—श्री जयप्रकाश नारायण ने यह इच्छा प्रकट की है कि पीसमील लेजिस्लेशन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही है कि सीलिंग और लैंड मैनेजमेंट बिल और बटाईदारी बिल दोनों पर एक साथ विचार होना चाहिए। श्री वैद्यनाथ चौधरी भी हमारे मित्र हैं। हमने उनके विचार का आदर किया, लेकिन.....

अध्यक्ष—शांति। इतने व्यक्तियों का नाम लेना क्या जरूरी है ?

श्री हृदय नारायण चौधरी—अच्छा नाम लेना मैं छोड़ देता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं उन्हींलोगों की इच्छा का आदर करके आप से कहूंगा कि रिकमीटल होने से किसी को कुछ मिल नहीं जाता है और एक महीने की देरी से न आकाश गिर जायगा न पाताल ऊपर आवेगा और न पृथ्वी उलट जायगी और एक महीने के बीत जाने से देश में कोई बगावत भी नहीं हो जायगी। दूसरे बिल पर भी विचार होने वाला है। पता नहीं वह श्री जयप्रकाश नारायण को अपना नेता मानते हैं या नहीं.....।

अध्यक्ष—कितनी बार आप कहेंगे इस बात को ?

श्री कर्पूरी ठाकुर—जयप्रकाश बाबू ने जो कुछ कहा है उस पर्चे में वह सब आप मान लेंगे ?

श्री हृदय नारायण चौधरी—हुजूर, सीलिंग एंड लैंड मैनेजमेंट बिल एक फंडामेंटल बिल है, एक मौलिक चीज है और उस पर विचार होने वाला है। इसलिए हम चाहते

थे कि आज शाम को जो लेजिस्लेचर क्लब में इस चीज पर विचार होने वाला है उसके ऊपर विचार करने का समय मिले लेकिन यह जब अपने नेता की बात नहीं मानते हैं तो हमको क्या पड़ी है? हम भी अपने प्रस्ताव को वापस ले लेना चाहते हैं।

प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया।

अध्यक्ष—माननीय मंत्री को अब जवाब देना है।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—हमको कुछ नहीं कहना है अब। जो कुछ कहना था हमने कह दिया है।

अध्यक्ष—मूल प्रश्न यह था कि प्रवर समिति द्वारा यथा-प्रतिवेदित बिहार टेनेन्सी (अमेंडमेंट) बिल, १९५४ पर विचार हो उसके बाद यह संशोधन पेश हुआ कि उक्त विधेयक को ३१ मार्च १९५६ तक जनमत जानने के लिये परिचारित किया जाय। अब प्रश्न यह है कि:

प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित बिहार टेनेंसी अमेंडमेंट बिल, १९५४, तिथि ३१ मार्च १९५६ तक जनमत जानने के लिए परिचारित हो।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्री शिवव्रत नारायण सिंह—मैंने कहा था कि पक्ष में बहुमत है।

अध्यक्ष—शांति, शांति। अपने फैसले के बाद इस तरह की आपत्ति में मंजूर करने के लिए तैयार नहीं हूं।

अध्यक्ष—अभी प्रश्न यह है कि:

प्रवर समिति द्वारा यथा-प्रतिवेदित बिहार टेनेंसी (अमेंडमेंट) बिल, १९५४ पर विचार हो।

सदस्यगण खड़े होकर मतदान दें।

मतदान का फल इस प्रकार है:—

विपक्ष में—२ (श्री शिवव्रत नारायण सिंह और श्री जिआउर रहमान)।

पक्ष में—बकिये सभी सदस्यगण।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कार्यक्रम की घोषणा।

STATEMENT OF BUSINESS.

अध्यक्ष—मैं कल की बैठक के लिए यह घोषणा करता हूं कि कल सभा की बैठक सुबह नौ बजे से होगी। ९ बजे से ११ बजे तक बिहार टेनेंसी बिल चलेगा, ११ बजे से १२ बजे तक प्रश्नोत्तर और फिर १२ बजे से साढ़े बारह बजे तक बिल उसके बाद २ बजे से लेकर ५ बजे तक फिर सरकारी कार्य होगा।

विधान कार्य: सरकारी बिल

LEGISLATIVE BUSINESS: OFFICIAL BILL:

बिहार टेनेंसी (अमेंडमेंट) बिल, १९५४ (१९५४ की वि० सं० ४१)

THE BIHAR TENANCY (AMENDMENT) BILL, 1954 (BILL NO. 41 OF 1954.)

अध्यक्ष—खंड २। इसमें श्री बोकाय मंडल का संशोधन है।